झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

राँची, दिनांकः– ....

US(5-16)

विषयः– जिला स्तरीय पदों का चिन्हितीकरण।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तर के पदों पर नियोजन एवं सेवाशर्तें निर्धारित की जाती है। झारखण्ड राज्य में सभी प्रकार के पदों/संवर्ग के लिए भर्ती नियमावली अब तक गठित नहीं हो पायी है। ऐसी स्थिति में जिला स्तरीय पदों की पहचान कर इसे चिन्हित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

2. जिला स्तरीय विभिन्न पदों की समीक्षा के बाद सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पद, जो परिशिष्ट–'क' के रूप में संलग्न हैं, विशेष रूप से जिला स्तरीय पद माने जायेंगे।

3. जिला स्तरीय पदों की सूची में आवश्यकतानुसार भविष्य में बदलाव भी किये जा सकेंगे।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियां सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–15/नीति नि०–07–06/2016 का०–3138/राँची, दिनांक 12/4/16

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

12/4/16

सरकार के प्रधान सचिव।

परिशिष्ट—'क'

जिला स्तरीय पदों की विवरणी

क्रं०	विभाग का नाम	पदनाम
1.	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	वनरक्षी
2.	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग	आरक्षी / चौकीदार / कक्षपाल
3.	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व कर्मचारी / समाहरणालय लिपिक / अमीन / जंजीरवाहक / चालक / आशुलिपिक
4.	ग्रामीण विकास विभाग	पंचायत सचिव
5.	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	जन सेवक / लिपिक
6.	स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	ए०एन०एम०
7.	विधि विभाग	व्यहवहार न्यायालय के लिपिक
8.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	इंटर प्रशिक्षित शिक्षक / स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक / उच्च विद्यालयों के शिक्षक

नोटः—सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालयों के सभी प्रकार के चतुर्थवर्गीय पद जिला स्तरीय पद माने जायेंगे।

12/5/16

सरकार के प्रधान सचिव।